

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 25 / 2017

दर्ज दिनांक:—19.04.2017

1. वीरवल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नारायण पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:  
तालेराम

प्राथी अभिभाषक  
अप्राथी अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की खातेदारी से लगे हुए गै.मु. रास्ता सिवायचक आराजी है। वादी इस दावे की आड़ में गै.मु. रास्ते पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बंद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official

